



THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 743

13 Aashwin, 1938 (S)

Ranchi, Thursday, 5th October, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION
4th October, 2017

S.O. No. 86- Dated- 5th October, 2017-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of Jharkhand S.O. 42 dated the 29th June, 2017, published in the Jharkhand Gazette namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 81 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“82	Chapter 9996	Services by way of right to admission to the events organised under FIFA U-17 World Cup 2017.	Nil	Nil”.

2. This notification shall be deemed to be effective from 21st September, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017]
By the order of the Governor of Jharkhand

(K. K. Khandelwal)
Principal Secretary-cum Commissioner

Note:-The principal notification was published in the Jharkhand Gazette vide S.O. 42 dated 29th June, 2017, and was last amended by S.O. 71 dated the 26th August, 2017.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

4 अक्टूबर, 2017

एस० ओ० 86 - दिनांक 5 अक्टूबर, 2017-- झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (12 का 2017) की धारा 11 की उपधारा 1)यों का शक्तिके तहत प्रदत्त (प्रयोग करते हुएराज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद द्वारा झारखण्ड सरकार, की अधिसूचना एस० 29 दिनांक 42जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है; यथा: -

उक्त अधिसूचना में,तालिका में, क्रम संख्या उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद और 81, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा,यथा -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82	अध्याय 9996	फीफा अंडर -17 विश्व कप के तहत आयोजित 2017 होने वाले आयोजनों में प्रवेश के अधिकार के माध्यम से सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं".

2. यह अधिसूचना 21 सितम्बर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वांकर/जी०एस०टी०/04/2017]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल

प्रधान सचिव-सह-आयुक्त।

(टिप्पणी : मूल अधिसूचना, झारखंड के राजपत्र, अधिसूचना एस०ओ० 42, दिनांक 29 जून, 2017 को प्रकाशित हुई थी एवं पिछली बार उस में संशोधन अधिसूचना एस०ओ० 71 दिनांक 26 अगस्त, 2017 के अनुसार हुआ था ।